कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

नाकाबन्दी के दौरान अवैध देशी की शराब 50 पेटी बरामद
बोलेरो कैम्पर गाड़ी बरामद तथा 2 शराब तस्कर गिरफ्तार

जयपुर 2 अगस्त। बीकानेर में अवैध शराब तस्करों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए नापासर थाना पुलिस ने रात्रि को नाकाबन्दी के दौरान अवैध देशी शराब की 50 पेटी बरामद कर शराब तस्करी के काम में लाई जा रही बोलेरो कैम्पर को जब्त कर चालक व एक अन्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस अधीक्षक बीकानेर श्री सवाई सिंह गोदारा ने आज बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि थाना पुलिस नापासर की टीम द्वारा सींथल सड़क पर आम रोही में नाकाबन्दी के दौरान बोलेरो कैम्पर गाड़ी नं. आरजे–07–जीसी–2026 को रोककर चैक किया तो उसमें 50 पेटी अवैध देशी शराब मिली, जिनको नापासर पुलिस ने जब्त कर गाड़ी चालक मोहनलाल पुत्र सोहन लाल कुम्हार व एक अन्य ओम प्रकाश पुत्र मदनलाल जाट निवासीगण बादनू थाना नोखा को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत थाना नापासर में अभियोग पंजीबद्ध किया गया है। इन दोनों आरोपियों को आज न्यायालय में पेश कर एक दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया है।

(2) बज्जू थाना पुलिस की फरार वारन्टियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही
6 साल से फरार 3 वारन्टियों को किया गिरफ्तार

जयपुर 2 अगस्त। बीकानेर में वारन्टियों की धर–पकड़ की कार्यवाही के क्रम में बज्जू थाना पुलिस ने 6 साल से फरार चल रहे 3 वारन्टियों की गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त की।

पुलिस अधीक्षक, बीकानेर श्री सवाई सिंह गोदारा ने आज बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि बज्जू थाना के वन्य जीव प्रकरण में दर्ज मुकदमा नं. 48/2012 में आरोपीगण मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु 6 मई,2017 को माननीय एम.जे.एम कोलायत से वारन्ट प्राप्त किये।

उन्होंने बताया कि बज्जू पुलिस को मुखबिर से इतला मिली कि उक्त मुकदमें के अभियुक्त पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में रह रहे है, जिस पर थाना बज्जू के श्री कुलदीप यादव हैड कानि. के नेतृत्व में एक टीम पश्चिम बंगाल भिजवायी गयी, इस टीम ने इन आरोपियों के निवास का पता लगाकर वारन्टी (1) कनक बर्मन पुत्र करणकान्त राजवंशी निवासी किसमत दसग्राम थाना दिनाटा जिला कूच बिहार (पश्चिम बंगाल) (2) तपन कुमार पुत्र पूर्णचन्द बर्मन निवासी डिगलाटारी थाना दिनाटा जिला कूच बिहार तथा (3) कृतिक बर्मन उर्फ भापा पुत्र कोडुना बर्मन निवासी किसमत दसग्राम थाना दिनाटा जिला कूच बिहार को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

राही/सन्तरा/ 567/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

स्कार्पियो सहित 256 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद,

जयपुर 2 अगस्त। पाली में चल रहे अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना रायपुर की टीम द्वारा आज बुधवार को नाकाबन्दी कर एक स्कार्पियो तथा 256 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस अधीक्षक पाली श्री दीपक भार्गव ने आज जानकारी देते हुए बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पाली ज्योति स्वरूप शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक वृत जैतारण वीरेन्द्र सिंह राठौड के निकटतम सुपरवीजन में श्री राजेन्द्र सिंह चारण निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी रायपुर व टीम आरक्षक सुगनलाल नं. 561, मुख्य आरक्षक भयामलाल 104 कानि0 मल्लाराम 1107, कानि0 महेन्द्र 225, कानि0 जयराम 1370 कानि0 गंगाराम 37, कानि0 बहादुर सिंह 185, हैड कानि. प्रहलाद नारायण 1089, हैड कानि. राकेश कुमार 439, हैड कानि. रोहिताश कुमार 157 कानि. सतीश 362, कानि. राजेश 881, कानि. रामपाल 1499 द्वारा आज सुबह चौकी बर के सामने नाकाबंदी कर वाहनों की चैकिंग के दौरान झाला की चौकी साईड से एक स्कार्पियो सफेद रंग की जिसके आगे आरजे 22 यूए 7709 की नम्बर प्लेट लगी हुई तेज गति से आई जिसमें चालक के अलावा एक और व्यक्ति आगे बैठा था जिसे रोकने का ईशारा किया तो नाकाबंदी तौडते हुये चालक वाहन को बर कस्बे की तरफ तेज गति से भगा ले गया जिसके शीसे काले पर्दे से बंद थे एवं गाडी भरी हुई लग रही थी। जिस पर श्री राजेन्द्र सिंह चारण एसएचओ रायपुर मय जाप्ता द्वारा वाहन स्कार्पियो का पिछा किया जो वाहन स्कार्पियो को उसका चालक बर से बिराटीया कॅला होते हूऐ हाजीवास की तरफ भगा ले गया। मगर पुलिस द्वारा लगातार पिछा करने व पकडे जाने के डर से स्कार्पियो में सवार दोनों व्यक्ति वाहन को बिराटीया कॅला सरहद में कच्चे रास्ते पर छोड कर खेतों की तरफ भाग गये जिनका लगातार पिछा किया मगर खैतो में फसल खडी होने व झाडियो का फायदा उठाकर चालक व उसका साथी भागने में कामयाब रहा। तत्पश्चात वाहन स्कार्पियो को चैक किया तो वाहन स्कार्पियो में काले पर्दे लगाकर कुल 21 प्लास्टिक के कट्टो में भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्त भरा हुआ मिला जिनका वजन किया गया तो कुल वजन 256 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त होना पाया गया।

उन्होंने बताया कि वाहन स्कार्पियो नम्बर आरजे 22 यूए 7709 व अवैध डोडा पोस्त को बरामद कर पुलिस ने कब्जे में ले लिया तथा अज्ञात मुलजिमों की तलाश की जा रही हैं।

राही/सन्तरा/ 568/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराधशाखा), राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

बाढ़ प्रभावित जिलों के लोगों को दी
एक करोड़ 68 लाख रुपये की तत्काल सहायता

–गृहमंत्री

जयपुर, 2 अगस्त। आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री श्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के बाढ़ प्रभावित बाड़मेर, पाली, सिरोही एवं जालोर में जहां अतिवृष्टि से लोगों के जान–माल की हानि एवं मकानों की क्षति हुई है, वहां राज्य सरकार ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता पहुंचाने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में अब तक बाढ़ के दौरान कुल 59 लोगों की मृत्यु हुई, इनमें से 42 पात्र व्यक्तियों को राज्य सरकार की ओर से 4 लाख रुपये अर्थात् एक करोड़ 68 लाख रुपये की आर्थिक सहायता जारी की जा चुकी है।

श्री कटारिया बुधवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सभी बाढ़ प्रभावित जिलों के लोगों को

10–10 लाख रुपये का रिवाल्विंग फंड भी दिया जा चुका है तथा बेघरबार हुए लोगों को 3 हजार 800 रुपये नकद सहायता भी दी जा रही है।

आपदा एवं प्रबंधन मंत्री ने बताया कि इस वर्ष बाढ़ के दौरान बाड़मेर, पाली, सिरोही एवं जालोर जिलों में 19 लोगों की डूबने से मृत्यु हुई, इनमें से 15 मृतकों के आश्रितों के प्रत्येक को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस मानसून में लगभग 361.92 मिली बारिश होने से प्रदेश के बाड़मेर, पाली सिरोही एवं जालोर के एक हजार 290 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए है।

श्री कटारिया ने बताया कि बाढ़ के दौरान पानी में बहने वाले 36 व आकाशीय बिजली गिरने से 20 एवं मकान की दीवार गिरने के कारण 3 इस प्रकार कुल 59 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। उन्होंने बताया कि बाढ़ की स्थिति से पूर्व ही भारी वर्षा की चेतावनी समय पर सभी जिलों को दी गई थी। उन्होंने बताया कि सबसे पहले जालोर में भारी वर्षा से कई गावों के जलमग्न होने की सूचना मिली। बाढ़ की सूचना मिलते ही सभी प्रभारी मंत्रियों को 24 घण्टे में बाढ प्रभावित जिलों में पाली, जालोर, सिरोही, बाडमेर व जोधपुर में पहुचने के निर्देश दिये गये थे ताकि प्रभावितों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि बाढ़ सहायता के लिये जिन क्षेत्रों से भी लोगों के पानी में फंसे होने की सूचना मिली, उन सभी को NDRF, SDRF, ARMY, स्थानीय लोगों की सहायता से बचाया गया। उन्होंने बताया कि हैलीकाप्टर जोधपुर व फलोदी में स्टेशन किये गये थे जिन्हें सूचना मिलते ही दुर्गम स्थानों पर फंसे जालोर के 39 व पाली के 3 लोगों को एयरलिफ्ट कर बचाया। जिस पर लगभग 3 करोड़ रुपये का व्यय आयेगा। गत वर्ष भी 96 लोगों को एयरलिफ्ट कर बचाया गया था।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर जिलों में 24 राहत शिविर खोले गये, इनमें एक हजार 514 लोगों को सहायता दी गई है। इन 4 जिलों में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से 4 हजार 614 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए तथा 5 हजार 518 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, जिन्हें एनडीआरएफ मानदण्ड के अनुसार सहायता शीघ्र ही उपलब्ध कराई जायेगी। इसी प्रकार इन 4 जिलों में बाढ़ से 5 हजार 699 पशु हानि हुई है इसके लिए भी पशुपालकों को निर्धारित मानदण्ड अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

यहां उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने गत वर्ष ही SDRF के 229 लोगों को फलड डिजास्टर रेसपोन्स कोर्स के लिए 60 लाख रुपये व्यय कर कलकत्ता से विशेष प्रशिक्षण दिलवाया। जिन्होंने इस बाढ से सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया। इन प्रशिक्षित लोगों ने 4 जिलों में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कुल एक हजार 309 लोगों को बचाया गया। गत 3 वर्षो से हेलीकाप्टर्स को बाढ से पहले ही निकटतम स्थानों पर रखा जाता है। इस वर्ष जोधपुर व फलोदी में हेलीकाप्टर रखे गये।

बैठक आपदा प्रबंधन के शासन सचिव एवं आयुक्त नागरिक सुरक्षा श्री हेमंत गैरा ने बाढ़ प्रभावित जिलों में अब तक पहुंचाई गई राहत सहायता को प्रेजेन्टेशन के माध्यम से विस्तार से प्रस्तुत कर बताया कि 42 लोगों को एयर लिफ्ट कर बचाया गया। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से अब तक बाढ़ प्रभावितों को एक करोड़ 68 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इस अवसर पर ओएसडी प्रथम श्री ब्रिजेन्द्र सिंह, वित्तीय सलाहकार श्री विश्वजीत सिंह, सहायक सचिव श्री रामखिलाड़ी मीना तथा विशिष्ट सहायक श्री महेन्द्र पारख एवं अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

राही/सन्तरा/567/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।